D/court case/letter/386

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/ 57264569 जयपुर, दिनांक: 18/4/2022

संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
.... ।

विषय : विभागीय स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन प्राप्त कर कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के वेतन भुगतान एवं कार्यरत रखने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों द्वारा विगत समय में हुए विभिन्न विभागीय स्थानान्तरण आदेशों पर माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से स्थगन प्राप्त कर कार्यरत हैं। उक्त स्थगन की पालना में प्रभावित कार्मिकों को पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की स्वीकृतियां भी जारी की हुई हैं। उक्त कार्मिकों को स्थगन आदेशों में आगामी सुनवाई तिथि तथा अपीलों मे हुए निर्णय के अध्ययधीन ही कार्यरत रखते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृतियां जारी हुई है।

अतः समस्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों के पक्ष में स्थगन प्रभावी होने तक ही संबंधित पद पर कार्यरत रखा जाकर ही इनका वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही प्रभावित कार्यरत कार्मिक की उपस्थिति के साथ स्थगन प्रभावी होने की सूचना संबंधित वेतन आहरण कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/ 57570 जयपुर, दिनांक: 18/4/2022

✓प्रतिलिपि : एसीपी (उपनिदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner